तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31.03.21	पत्रावली वास्ते बहस स्थगन पेश हुयी। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। वकील अपीलाण्ट का तर्क है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2021/02.03.2021 खिलाफ कानून, एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायायलय द्वारा दिनांक 11.01.2021 को कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया व अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर दिये। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 का इस बाबत् प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पत्र 212 पर शीघ्र सुनवाई की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई नही की जाकर प्रकरण जवाब प्रार्थना पत्र एवं शेष प्रतिवादियों की तलवी हेतु नियत कर दिया। इस प्रकार बावजूद प्रार्थना के अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन पर कोई आदेश ना देने में अहम कानूनी गलती की है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 738 रकवा 05 बीघा 15 बिस्वा में से 1 बीघा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1967 को झूमल जाति खत्री से मोरध्वज द्वारा खरीद किया था और उसके बाद उक्त खसरा नम्बर में से 14 बिस्वा अपीलाण्ट ज्ञानचन्द व जगदीश के द्वारा दिनांक 04.08.1967 को जरिये विक्रय पत्र मोरध्वज से खरीद कर लिया परन्तु राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हुआ। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपीलाण्ट के पक्ष में बखूबी साबित था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम आदेश जारी ना करने में अहम कानूनी भूल की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1985 पेज 35, डीएनजे 2015(1) पेज 81, एआईआर 2019(एस0सी0) पेज 231, 1981 (एस0सी0) पेज 1786 का उद्धरण पेश करते हुये, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 1646/0.05 कस्बा नदबई प्रथम के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.01.2021 जो धारा 212 के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर करने एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 19.01.2021 को नियत किये जाने एवं साथ ही आदेश दिनांक 02.03.2021 जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/वादी के प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी की नकल प्रतिवादी के अभिभाषक को दिलाये जाने एवं प्रकरण वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र एवं शेष की तलवी जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 दिनांक 10.03.2021 को नियत की गयी के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त दोनों अपीलाधीन आदेशो में अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई है एवं ना ही प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के क्रम में प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं जिसमें किसी भी प्रकार के विधिक प्रावधानो का उल्लंघन हुआ हो, ऐसा प्रतीत	

नहीं होता है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त केवल वही पर ही लागू होते हैं जहॉ अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गयी है अथवा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है। जबकि अपीलाधीन आदेश ऐसे आदेश नहीं हैं जिस पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर चस्पा होते हों।

अतः प्रस्तुत अपील, इसी स्तर पर इस निर्देश के साथ खारिज की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय एक माह के अन्दर आवश्यक रूप से प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिवत रूप से निस्तारण करें। अपीलाण्ट को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.04.2021 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

31-03-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)

राजस्व अपील प्राधिकारी

भरतपुर